



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-436 राँची, बुधवार,

25 अगस्त, 2021 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

संकल्प

19 अगस्त, 2021

संशोधन

संख्या -5/स्था.(नि.)/यो.-1001/2020-597--(नि०) श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत संकल्प सं०-273(नि०), दिनांक-19.03.2021 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- योग्यता:-** राज्य के विभिन्न विभागों¹ द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए, के स्थान पर “राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए। NSQF मापदंड को विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक द्वारा अपनाने से पूर्व विभाग द्वारा संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक से सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों का प्रमाण पत्र रखने वाले सभी उम्मीदवार भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।"समझा जाय।

- II. **पात्रता:-** नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी, के स्थान पर "आवेदन समर्पित करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगों को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।"समझा जाय।
- III. **प्रोत्साहन राशि:-** उपर्युक्त अर्हताधारी आवेदकों के लिए ₹0 5,000/-प्रति वर्ष, एक वर्ष के लिए (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी), के स्थान पर "उपर्युक्त अर्हताधारीप्रति आवेदकों के लिए ₹0 5,000/-(एकमुश्त नियत राशि) मात्र एक वर्ष के लिए (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50%अतिरिक्त होगी)।"समझा जाय।

-2-

- IV. **योजना का क्रियान्वयन:-** "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" हेतु जिस विभाग से पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि पात्रता रखने वाले आवेदकों से विहित प्रपत्र (Annexure-I) में आवेदन प्राप्त कर इसकी सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं का दस्तावेज सहित) soft एवं hard copy में अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, के स्थान पर "मुख्यमंत्रीप्रोत्साहन योजना"हेतु जिस विभाग/संस्थान से पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग के संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी/ संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि पात्रता रखने वाले आवेदकों से विहित प्रपत्र (Annexure-I) में आवेदन प्राप्त कर इसकी सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं के दस्तावेज) soft एवं hard copy में अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।"समझा जाय।

2. पूर्व में निर्गत संकल्प सं0-273(नि.), दिनांक-19.03.2021 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
